"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण.16, 1932)

क्रमांक-12502/विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
**(देवेन्द्र वर्मा)**
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 29 सन् 2010)

# छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010

**वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम.**

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

**वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए राज्य की संचित निधि में से 10,33,72,59,800 रुपयों का दिया जाना.**

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार तैंतीस करोड़ बहत्तर लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

**विनियोग.**

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां,

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

| अनुदान का संख्यांक | सेवाएं और प्रयोजन | | निम्नलिखित से अनधिक राशियां | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
| (1) | (2) | | | (3) | |
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 01 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 5,79,52,000 | 27,94,000 | 6,07,46,000 |
| 03 | पुलिस | राजस्व | 6,00,00,300 | 0 | 6,00,00,300 |
| 04 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व | 1,30,00,000 | 0 | 1,30,00,000 |
| 05 | जेल | राजस्व | 11,30,100 | 0 | 11,30,100 |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 9,70,00,000 | 0 | 9,70,00,000 |
| 10 | वन | राजस्व | 1,16,55,000 | 0 | 1,16,55,000 |
| 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 |
| 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 20,62,70,000 | 0 | 20,62,70,000 |
| 13 | कृषि | राजस्व | 30,67,09,000 | 0 | 30,67,09,000 |
| 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 1,00,00,000 | 0 | 1,00,00,000 |
| 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय | राजस्व | 2,55,00,000 | 0 | 2,55,00,000 |
| | पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | पूंजी | 12,00,00,000 | 0 | 12,00,00,000 |
| 16 | मछली पालन | राजस्व | 18,23,000 | 0 | 18,23,000 |
| 17 | सहकारिता | पूंजी | 2,85,000 | 0 | 2,85,000 |
| 18 | श्रम | राजस्व | 58,60,000 | 0 | 58,60,000 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | राजस्व | 32,66,80,000 | 0 | 32,66,80,000 |
| 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | राजस्व | 31,93,00,000 | 0 | 31,93,00,000 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 23 | जल संसाधन विभाग | पूंजी | 20,00,00,000 | 0 | 20,00,00,000 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | पूंजी | 700 | 0 | 700 |
| 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 26,00,000 | 0 | 26,00,000 |
| 27 | स्कूल शिक्षा | राजस्व | 8,45,00,100 | 0 | 8,45,00,100 |
| | | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 28 | राज्य विधान मंडल | राजस्व | 78,80,000 | 0 | 78,80,000 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | राजस्व | 30,27,75,000 | 85,00,000 | 31,12,75,000 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय. | राजस्व | 1,00,00,000 | 0 | 1,00,00,000 |
| | | पूंजी | 12,00,000 | 0 | 12,00,000 |
| 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय. | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 32 | जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 9,07,65,000 | 0 | 9,07,65,000 |
| 33 | आदिमजाति कल्याण | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय. | राजस्व | 1,00,00,00,000 | 0 | 1,00,00,00,000 |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | राजस्व | 1,29,69,55,100 | 0 | 1,29,69,55,100 |
| | | पूंजी | 53,91,40,000 | 0 | 53,91,40,000 |
| 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल. | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 43 | खेल और युवक कल्याण | राजस्व | 15,00,000 | 0 | 15,00,000 |
| 44 | उच्च शिक्षा | राजस्व | 20,00,300 | 0 | 20,00,300 |
| 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | पूंजी | 500 | 0 | 500 |
| 47 | तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग | राजस्व | 6,40,00,400 | 0 | 6,40,00,400 |
| | | पूंजी | 200 | 0 | 200 |
| 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | राजस्व | 22,40,000 | 0 | 22,40,000 |
| 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व | राजस्व | 1,50,00,000 | 0 | 1,50,00,000 |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | राजस्व | 5,77,27,100 | 0 | 5,77,27,100 |
| 56 | ग्रामोद्योग | राजस्व | 3,72,85,000 | 0 | 3,72,85,000 |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय. | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | राजस्व | 2,28,00,000 | 0 | 2,28,00,000 |
| 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना | राजस्व | 7,47,51,000 | 0 | 7,47,51,000 |
| | | पूंजी | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 |
| 65 | विमानन विभाग | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | राजस्व | 10,32,20,000 | 0 | 10,32,20,000 |
| 67 | लोक निर्माण कार्य - भवन | राजस्व | 1,00,00,000 | 0 | 1,00,00,000 |
| | | पूंजी | 30,00,300 | 0 | 30,00,300 |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 80,70,000 | 0 | 80,70,000 |
| | | पूंजी | 3,00,00,100 | 0 | 3,00,00,100 |
| 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | राजस्व | 1,65,73,15,000 | 0 | 1,65,73,15,000 |
| | | पूंजी | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 2,06,93,75,000 | 8,77,00,000 | 2,15,70,75,000 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | पूंजी | 38,00,00,000 | 0 | 38,00,00,000 |
| | **योग** | **राजस्व** | **8,46,36,38,800** | **9,89,94,000** | **8,56,26,32,800** |
| | | **पूंजी** | **1,77,46,27,000** | **0** | **1,77,46,27,000** |
| | **वृहद योग** | | **10,23,82,65,800** | **9,89,94,000** | **10,33,72,59,800** |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर: स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

**डॉ. रमन सिंह**
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

---

**" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "**

**देवेन्द्र वर्मा**
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010